2019/00093

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, यशपाल आहूजा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 435 / 19

वादी बनाम प्रतिवादीगण

प्रेम देवी पुत्री खेमाराम
पत्नि पेंपाराम जाति नाई
निवासी – विजयनगर
हाल निवास – डेढ़ा
तहसील – बालेसर
जिला– जोधपुर

1. आदूराम पुत्र ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
   (फौत विलोपित)
2. भोमाराम पुत्र ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
3. कोजाराम पुत्र ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश
   प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 नाबालिग
   जरिये कुदरती वलिया दादी
   खमा बेवा खेमा
4. खमा बेवा खेमा
5. तारूराम पुत्र खेमाराम
6. दुर्गाराम पुत्र खेमाराम
   सभी जाति – नाई
7. मंजू पत्नि हुकमाराम
   जति – गुरडा
8. जीयाराम पुत्र केसूराम
9. मगाराम पुत्र केसूराम
   जति – नाई
10. निरमा पत्नि हरीराम
   जति – विश्नोई
   सभी निवासी – विजयनगर
   तहसील – फलौदी
   जिला – जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
वादीनी की और से अधिवक्ता सुमेंर सिंह चौहान उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 24.12.2019

वादी ने एक वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम विजयनगर तहसील फलोदी में खसरा सं.54 रकबा 71 बीघा कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की स्थित है। इसी प्रकार खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा कृषि

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 तथा 8 व 9 की संयुक्त काश्त भूमि है उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि वादीनी एवं प्रविादीगण सं. 1 से 6 की पैतृक काश्त भूमि है। वादीनी एवं प्रतिवादीनी सं. 1 से 6 खेमाराम के वारिसान है। वादीनी खेमा की पुत्री है खेमाराम के वारिसान में दो पत्निया खमा व मोहनी का संयुक्त हिस्सा होता है। खेमाराम के देहान्त के समय खेमाराम के तीन पुत्रों तारूराम, ओमाराम उर्फ ओपप्रकाश, दुर्गाराम और वादीनी कुल 4 संतान होन से हिन्दु उत्तराधिकार विधि अनुसार खेमाराम के हिस्से की उक्त वादग्रस्त काश्त भूमि में वादीनी को 1/5 हिस्सा दोनों माताओं खमा व मोहनी को 1/5 हिस्सा वादीनी के तीनों भाईयों तारूराम, ओमाराम उर्फ ओमप्रकाश व दुर्गाराम को क्रमशः 1/5, 1/5 , 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ जिसकी घोषणा करवाने की वादीनी अधिकारी है

वादीनी के पिता खेमाराम के देहान्त होने पर प्रतिवादीनी सं. 4 ने वादीनी को अपने पिता खेमाराम से विरासत में प्राप्त 1/5 हिस्से की भूमि से वंचित करने की बदयांति से ग्राम ननेउ के खेमाराम कि विरासत नामान्तरकरण सं. 382 व 385 विधि विरूद्व तरीके से स्वीकृत करने से निरस्त किए जाने योग्य है वादग्रस्त खसरा नं. 54 रकबा 71 बीघा भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा पिता खेमाराम से विरासत में प्राप्त हुआ है वादीनी उक्त खसरा नं. 54 रकबा 71 बीघा भूमि में अपना 1/5 हिस्सा घोषित करवाने कि अधिकारी है उक्त काश्त भूमि में मोहनी बेवा खेमा की जगह प्रतिवादी सं. 10 के नाम 5 बीघा भूमि दर्ज है प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 और प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के अलग–अलग हिस्से प्रतिवादी सं. 4 के नाम 1/2 हिस्सा व शेष के नाम 61/142 हिस्सा गलत दर्ज है। प्रतिवादीनी सं. 10 द्वारा 5 बीघा भूमि प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 से क्रय करने से यथावत रखते हुए वादीनी का 1/5 हिस्सा घोषित करवाने व तदनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 का हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा और खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 का 1/2 हिस्सा है और वादीनी के पिता खेमाराम का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा रहा है। खेमाराम के देहान्त होने पर हिन्दू उत्तराधिकार विधि अनुसार वादीनी को खेमाराम के हिस्से में 1/5 हिस्सा अर्थात कुल रकबा में 1/10 हिस्सा प्राप्त हुआ है

खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीनी सं. 4 का 500/1999 हिस्सा तथा खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 4 का 1/4 हिस्सा गलत दर्ज है, उक्त दोनों खसरान की भूमियों में प्रतिवादीगण सं. 4, 5, व 6 को 1/10 , 1/10 हिस्सा बंट में आता था उपरोक्त हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 का संयुक्त हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

के समर्थन में स्वयं के बयान कलमबद्ध करवायें तथा दस्तावेज प्रदर्श करवायें जिसमें नामान्तरकरण संख्या 382,385 प्रदर्श कमश 1 व 02, समत् 2072 से 2075 की प्रमाणित जमाबंदीया क्मश प्रदर्श 03, 04, 05, 06, 07 तथा भामाशाह कार्ड प्रदर्श 8 जिसकी विवरण रसीद प्रदर्श 9 तथा आधार कार्ड प्रदर्श 10 करवायें।

वादीनी अधिवक्ता की वाद पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता वादीनी ने अपनी बहस में बताया की ग्राम ननेऊ के नामान्तरकरण सं. 382 व 385 निरस्त किया जाकर ग्राम विजयनगर तहसील फलौदी स्थित खेत खसरा नं. 54 रकबा 71 बीघा भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा पैतृक होना घोषित किया जावे । प्रतिवादीनी सं. 10 का उक्त भूमि में 5 बीघा भूमि होना एंव तदनुसार प्रतिवादीगण सं 1 ता 6 का शेष 4/5 हिस्सा प्रतिवादीनी सं. 10 सहित घोषित किया जावें। ग्राम विजयनगर तहसील फलौदी स्थित खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा , खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादीनी का 1/10 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 व 8 एवं 9 के क्रय किया होने से प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा यथावत रखते हुए तदानुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 व प्रतिवादी सं. 8 व 9 का खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा भूमि में विक्रय पश्चात शेष हिस्सा घोषित किया जाकर वादीनी का 1/10 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। और खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादीनी का 1/10 हिस्सा घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 का 1/2 हिस्सा किया जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 का 1/10 हिस्सा घोषित किया जाकर वादीनी का 1/10 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता वादीनी की वाद पर बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का तथा मोखिक साक्ष्यों में प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन के वादीनी का वाद दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित होना पाया जाता है।

—: आदेश :—

वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम विजयनगर तहसील फलौदी स्थित खेत खसरा नं. 54 रकबा 71 बीघा भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादीनी सं. 10 का उक्त भूमि में 5 बीघा भूमि होना एंव तदनुसार प्रतिवादीगण सं 1 ता 6 का शेष 4/5 हिस्सा , प्रतिवादीनी सं. 10 सहित घोषित किया जाता है ग्राम विजयनगर तहसील फलौदी स्थित खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा , खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादीनी का 1/10 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 4 से 6 व 8 एवं 9 के क्रय किया होने से प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा यथावत रखते हुए तदानुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 व प्रतिवादी सं. 8 व 9 का खसरा नं. 51 रकबा 99 बीघा 19 बिस्वा भूमि में

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner

विक्रय पश्चात शेष हिस्सा , वादीनी का 1/10 हिस्सा और खसरा नं. 52 रकबा 83 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादीनी का 1/10 हिस्सा , प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 का 1/2 हिस्सा , प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 का 1/10 हिस्सा , वादीनी का 1/10 हिस्सा घोषित किया जाता है इसी माफिक तहसीलदार फलोदी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करावें । माफिक आदेश डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जिला जोधपुर

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: